प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 12-10-2026**

विषयः- 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026' के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97(ल0 उ0)/2016 दिनांक 26 नवम्बर, 2024, के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को शासकीय क्रय में पूर्व अनुभव, वार्षिक टर्नओवर तथा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) की आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है, जिससे उनकी शासकीय खरीद में भागीदारी को प्रोत्साहन मिल सके।

पारंपरिक क्रय शर्तें प्रायः स्टार्टअप की भागीदारी को सीमित करती हैं, अतः बाजार तक स्टार्टअप्स की पहुंच में सुधार करने तथा शासकीय विभागों एवं अभिकरणों इत्यादि द्वारा नवोन्मेषी स्टार्टअप समाधानों को अपनाने में सक्षम बनाने हेतु 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026' प्रख्यापित की जा रही है।

2- 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026' के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैंः-

i. सार्वजनिक क्रय एवं बाजार तक पहुंच के अवसरों में स्टार्टअप की भागीदारी को सुगम बनाना।
ii. नवोन्मेषी स्टार्टअप समाधानों को अपनाने, उनके व्यावसायीकरण एवं विस्तार को प्रोत्साहित करना।
iii. बेहतर गवर्नेन्स एवं सर्विस डिलीवरी हेतु शासकीय विभागों को नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियां अपनाने में सक्षम बनाना।
iv. स्टार्टअप-आधारित समाधानों एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नवाचार-प्रेरित गवर्नेन्स को सुदृढ़ करना।
v. क्रय-आधारित मांग-पक्ष सहायता के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पारितंत्र को सुदृढ़ करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- परिभाषाएं

इस योजना के प्रयोजन में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों का आशय इस प्रकार से होगा:-

i. **स्टार्टअप** से आशय भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त इकाई से है।

ii. **पात्र स्टार्टअप** से आशय ऐसे DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप से है, जो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के अंतर्गत पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त हो तथा जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में हो अथवा जिसके कम से कम पचास प्रतिशत कार्यबल, परिचालन, अनुसंधान, उत्पाद विकास, विनिर्माण, सेवा प्रदायगी या व्यावसायिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश में स्थित हों।

iii. **नवोन्मेषी उत्पाद अथवा सेवा** से आशय ऐसे किसी उत्पाद, प्रक्रिया, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रौद्योगिकी अथवा सेवा से है, जो मौजूदा विकल्पों की तुलना में नवाचार, नवीनता, तकनीकी उन्नति अथवा महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित करे।

iv. **सनराइज क्षेत्र** में डीप-टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, हरित ऊर्जा, जलवायु प्रौद्योगिकियां, उन्नत विनिर्माण तथा शासन द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्र शामिल होंगे।

v. **अवधारणा प्रमाण (PoC)** से आशय किसी नवोन्मेषी समाधान की तकनीकी व्यवहार्यता, प्रभावशीलता एवं विस्तार-क्षमता के सत्यापन हेतु किए गए सीमित स्तर के परिनियोजन से है।

vi. **स्टार्टअप विशेषज्ञ समीक्षा समिति (SRCE)** से आशय उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 के अंतर्गत गठित ऐसी समिति से है, जो स्टार्टअप तथा नवोन्मेषी उत्पादों/सेवाओं/ समाधानों का मूल्यांकन करे, उनकी पात्रता निर्धारित करे तथा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित उत्पाद, उसकी रूपरेखा विशिष्टियों (outline specifications) एवं प्रस्तावित मूल्य की समीक्षा कर, उपयुक्त प्रकरणों को नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के अनुमोदन एवं GeM पर समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल पर ऑनबोर्डिंग हेतु संस्तुत करे।

vii. **तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC)** से आशय इस योजना के अंतर्गत गठित समिति से है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

viii. **स्टार्टअप मिशन** से आशय स्टार्टअप-संबंधी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित **उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन** से है।

ix. **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) एवं इसमें समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल**: गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से आशय भारत सरकार के सार्वजनिक क्रय हेतु संचालित राष्ट्रीय सार्वजनिक क्रय पोर्टल से है। इस योजना के प्रयोजनार्थ GeM पर उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन (UPSM) के समन्वय से एक समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं एवं समाधानों को सूचीबद्ध कर शासकीय क्रय हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

x. **नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU)**: नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) से आशय 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026' के अंतर्गत गठित ऐसी समिति से है, जो स्टार्टअप विशेषज्ञ समीक्षा समिति (SRCE) द्वारा संस्तुत पात्र स्टार्टअप्स के प्रकरणों (उत्पाद, विशिष्टियाँ एवं प्रस्तावित मूल्य सहित) का परीक्षण एवं अनुमोदन कर उन्हें GeM पर समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल पर ऑनबोर्डिंग हेतु स्वीकृति प्रदान करे।

4- योजना की प्रयोज्यता- इस योजना के प्रावधान उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विभागों तथा उनके निदेशालयों, संबद्ध कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों, परिषदों, प्राधिकरणों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नगरीय स्थानीय निकायों, शासन द्वारा स्थापित अथवा समर्थित विशेष प्रयोजन वाहनों (स्पेशल परपज वेहिकल्स) तथा ऐसे अन्य संस्थानों या अभिकरणों इत्यादि पर लागू होंगे, जिन्हें शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

5- पात्रता- इस योजना का लाभ केवल उन पात्र स्टार्टअप्स को उपलब्ध होंगे, जो शासन द्वारा चिह्नित सुशासन संबंधी चुनौतियों, सार्वजनिक सर्विस डिलीवरी की आवश्यकताओं, रणनीतिक क्षेत्रों तथा उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित नवोन्मेषी उत्पाद, प्रौद्योगिकियां एवं समाधान विकसित कर रहे हों।

6- यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल पर स्टार्टअप्स की सूचीबद्धता निम्नानुसार की जायेगी:-

(i) **मूल्यांकन एवं सूचीबद्धता**: सूचीबद्धता हेतु पात्र स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित उत्पादों, सेवाओं एवं समाधानों का मूल्यांकन स्टार्टअप विशेषज्ञ समीक्षा समिति (SRCE) द्वारा संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में निर्धारित नवाचार, विशिष्टता, तकनीकी सुदृढ़ता, विस्तार-क्षमता एवं गुणवत्ता मानकों के आधार पर GeM पर समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल पर किया जाएगा। पात्र स्टार्टअप द्वारा संबंधित उत्पाद, उसकी रूपरेखा विशिष्टियाँ एवं प्रस्तावित मूल्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी SRCE द्वारा समीक्षा एवं संस्तुति की जाएगी। पात्र स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित मूल्य की समीक्षा के उपरांत SRCE द्वारा संबंधित उत्पाद/सेवा/समाधान का अधिकतम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मूल्य निर्धारित किया जाएगा। पात्र स्टार्टअप GeM क्रय प्रक्रिया में निर्धारित अधिकतम मूल्य से कम मूल्य पर उत्पाद/सेवा/समाधान का विक्रय करने हेतु स्वतंत्र होंगे। SRCE द्वारा अनुमोदित विशिष्टियाँ संबंधित उत्पाद/सेवा/समाधान की न्यूनतम विशिष्टियाँ (minimum specifications) होंगी तथा पात्र स्टार्टअप उत्पाद/सेवा/समाधान को और विकसित करते हुए उच्चतर विशिष्टियों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु उत्पाद/सेवा/समाधान के SRCE द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य में बदलाव नहीं होगा। किसी भी संदेह की स्थिति में अद्यतन विशिष्टियाँ (updated specifications) सत्यापन एवं अनुमोदन हेतु पात्र स्टार्टअप द्वारा SRCE को संदर्भित किए जा सकते हैं। निर्धारित मूल्य में बदलाव हेतु उल्लेखित SRCE अनुमोदन की प्रक्रिया पुनः की जाएगी। SRCE की संस्तुति तथा नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के अनुमोदन के उपरांत ऐसे उत्पाद, सेवाएं एवं समाधान यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। PIU द्वारा अनुमोदन के उपरांत संबंधित पात्र स्टार्टअप्स को GeM पर अनिवार्यतः रजिस्टर कराया जाएगा तथा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन द्वारा अनुमोदित उत्पादों/सेवाओं/समाधानों की अद्यतन सूची रीयल-टाइम आधार पर समस्त विभागों को समय-समय पर प्रसारित की जाएगी, जिससे विभाग अपने लिए उपयोगी नवोन्मेषी उत्पादों, प्रौद्योगिकियों एवं समाधानों से अवगत हो सकें।

(ii) सीड फंड प्राप्त स्टार्टअप्स हेतु त्वरित सूचीबद्धता: उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के अंतर्गत नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा अनुमोदित सीड कैपिटल सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स, पात्रता के सत्यापन के उपरांत, GeM पर समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु पात्र होंगे।

7- तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC)

प्रत्येक संबंधित विभाग द्वारा स्टार्टअप क्रय प्रस्तावों का मूल्यांकन करने तथा इस योजना के प्रावधानों के अनुसार संस्तुति प्रदान करने हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। TEC में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

i. **अध्यक्ष:** संबंधित विभाग के सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी;

ii. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन का एक प्रतिनिधि; तथा

iii. विभागीय प्रमुख द्वारा नामित तकनीकी विशेषज्ञ।

प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन TEC द्वारा एक मानकीकृत मूल्यांकन ढांचे के आधार पर किया जाएगा, जिसमें नवाचार, तकनीकी व्यवहार्यता, विस्तार-क्षमता, निवेश पर प्रतिफल, सार्वजनिक मूल्य, लागत-प्रभावशीलता, कार्यान्वयन तत्परता तथा संबंधित विभाग की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य शामिल होगा।

8- स्टार्टअप से क्रय सुविधा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रय संस्थाओं को स्टार्टअप्स से उत्पाद एवं सेवाओं के क्रय हेतु निम्नानुसार सुविधा होगीः-

i. एकल निविदा:

शासकीय विभाग के अनुमोदन तथा तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) की संस्तुति के अधीन, GeM पर समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल पर प्रदर्शित पात्र स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं एवं समाधानों का प्रति क्रय रुपये 50 लाख तक के मूल्य तक क्रय GeM पर उपलब्ध एकल निविदा व्यवस्था द्वारा कर सकेंगे। यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल पर प्रदर्शित उत्पादों की सूची गतिशील होगी तथा SRCE की संस्तुति एवं PIU के अनुमोदन के उपरांत नए उत्पादों को समय-समय पर इसमें सम्मिलित किया जाएगा।

ii. सनराइज क्षेत्रों में एकल निविदा:

सनराइज क्षेत्रों से संबंधित नवोन्मेषी समाधानों के लिए शासकीय विभाग के अनुमोदन तथा तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) की संस्तुति के अधीन, GeM पर समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल पर प्रदर्शित पात्र स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं एवं समाधानों का प्रति क्रय रू. 50 लाख से रू. 1 करोड़ तक के मूल्य तक क्रय GeM पर उपलब्ध एकल निविदा व्यवस्था द्वारा कर सकेंगे।

iii. केवल स्टार्टअप हेतु सीमित निविदा:

रुपये 1 करोड़ तक की क्रय आवश्यकताओं हेतु, जहां एक से अधिक पात्र स्टार्टअप क्रय आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हों, वहां शासकीय विभाग GeM पर समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल पर प्रदर्शित सभी पात्र स्टार्टअप के माध्यम से GeM पर उपलब्ध सीमित निविदा व्यवस्था को अपनाएँगे, जो आवश्यकतानुसार तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) की संस्तुति के अधीन होंगी। ऐसे क्रय मामलों में प्रासंगिक शासनादेशों के अनुसार पूर्व अनुभव, वार्षिक टर्नओवर तथा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) संबंधी छूट प्रदान होगी।

iv. विभागों को सूचना एवं मूल्यांकन अवधि:

नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा किसी उत्पाद/सेवा/ समाधान के अनुमोदन के उपरांत, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन द्वारा उन संबंधित विभागों को, जिनके सरकारी तंत्र में उपयोग हेतु ऐसा उत्पाद/सेवा/समाधान उचित एवं उपयुक्त हो, विशेष रूप से सूचित किया जाएगा। संबंधित विभाग के तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) द्वारा उत्पाद के सूचीबद्ध होने की तिथि से तीन माह की अवधि में उस उत्पाद का मूल्यांकन होगा और तत्पश्चात या तो क्रय की कार्यवाही करेगा अथवा क्रय न किए जाने की स्थिति में सक्षम क्रय प्राधिकारी द्वारा कारणों सहित सुविचारित आदेश (speaking order) निर्गत किया जाएगा।

9- विभागीय इनोवेशन निधि हेतु आवंटन एवं स्टार्टअप्स को भुगतान-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पात्र स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं एवं समाधानों के अंगीकरण, पायलट परीक्षण एवं क्रय को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक विभाग द्वारा एक समर्पित "इनोवेशन फंड" स्थापित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु विभागीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप वार्षिक विभागीय बजट व्यवस्था का अधिकतम 0.5 प्रतिशत तक का समर्पित बजटीय प्रावधान किया जाएगा। निधि के आवंटन एवं उपयोग की रूपरेखा विभागीय वार्षिक कार्ययोजना का भाग होगी तथा इसकी समीक्षा तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) द्वारा की जाएगी। 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026' के प्रावधानों के अनुरूप नवाचार चुनौतियों, हैकाथॉन एवं अन्य स्टार्टअप सहभागिता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों के माध्यम से चिन्हित स्टार्टअप्स को इस योजना के अंतर्गत अवधारणा प्रमाण (Proof of Concept-PoC), पायलट कार्यान्वयन, प्रदर्शन तथा क्रय हेतु विचार किया जा सकेगा।

स्टार्टअप को भुगतान तीन चरणों में, यथा-क्रयादेश जारी होने पर 30 प्रतिशत, आपूर्ति एवं सफल स्थापना पर 60 प्रतिशत तथा वारंटी अवधि पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत अवमुक्त किया जाएगा। क्रय हेतु प्रभावी लागू आपूर्ति, स्वीकृति, वारंटी, सहायता, निष्पादन, दंड तथा समाप्ति संबंधी शर्तें क्रयादेश में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएंगी। संबंधित विभाग उपर्युक्त विशिष्ट भुगतान चरणों एवं अन्य संबंधित शर्तों को अपनी GeM निविदा में यथावश्यकता सम्मिलित करेंगे ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार का अवरोध न हो।

10- कार्यान्वयन तंत्र

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन, योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगा तथा सरकारी क्रय में स्टार्टअप्स की भागीदारी को सुगम बनाएगा, मार्गदर्शन सहायता प्रदान करेगा, विभागों के साथ समन्वय करेगा और क्रय-संबंधी शिकायत निवारण तंत्र बनाए रखेगा। मिशन द्वारा इस योजना की अधिसूचना की तिथि से तीन माह के भीतर, पात्र स्टार्टअप्स को GeM पर समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल पर पंजीकृत एवं सूचीबद्ध कर उनके नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं एवं समाधानों को शासकीय विभागों के विचार एवं क्रय हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

11- **अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन**

सभी विभाग स्टार्टअप सहभागिता, किए गए क्रय, कार्यान्वित प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एवं पायलट परियोजनाओं, प्राप्त नवाचार परिणामों तथा विभागों में विस्तारित सफल समाधानों के संबंध में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवधिक प्रगति प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन द्वारा संकलित कर शासन को प्रस्तुत किया जाएगा।

12- वित्तीय प्रावधान

संबंधित विभाग निविदा एवं क्रय की लागत अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13- **योजना की अवधि**

यह योजना उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के कार्यरत रहने तक प्रभावी रहेगी, जो कि समय-समय पर शासन द्वारा इसमें किसी संशोधन, परिवर्तन अथवा इसे वापस लिये जाने के अधीन होगी।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
3- प्रबन्ध निदेशक,यूपीएलसी,यूपीडेस्को,अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0,श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
4- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टार्टअप मिशन निदेशालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आकांक्षा राना
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।